झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

क्रमांक–853 दिनांक–07.05.2026

निविदा सूचना

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा पुराने अनुपयोगी/अप्रयुक्त (Unused) प्रश्न पत्र, ओ०एम०आर० उत्तर शीट, मुद्रित प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि को कतरित (Shredding) कर विक्रय करने हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010 स्थित कार्यालय (स्थापना शाखा) से कोरे कागज में आवेदन देकर तथा 1000/– (एक हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंको के बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के नाम से देय हो जमा करके दिनांक–11.05.2026 से 20.05.2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। अन्य विवरण इस प्रकार हैः–

क्रमांक	सामग्री का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01	विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी/ अप्रयुक्त दस्तावेज को कतरित कर विक्रय	1000/–	20.05.2026	21.05.2026

निविदा प्रपत्र एवं शर्त्तें आयोग की वेवसाईट– www.jssc.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है। निविदा कर्त्ता वेवसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क के रूप में 1000/– रू० का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व आयोग कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

ह०/–
सचिव
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

रद्दी कतरन एवं विक्रय के लिए निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम व पता ....

   ....

   ....

   ....

   दूरभाष संख्या..

2. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म के प्रोपराइटर का नाम–
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का PAN नम्बर–
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का GST नम्बर–
5. जिसको संबोधित किया गया– सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची
6. सन्दर्भ – निविदा सूचना संख्या–..............................दिनांक–..................................
7. निविदा शुल्क की राशि 1000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सं०.................................. दिनांक–.....................

मैं उपरोक्त निविदा संख्या–................. दिनांक–.................. के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची से रद्दी कतरित कर खरीदने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित दरें प्रस्तुत करता हूँः–

क्र०सं०	विवरण	दर प्रति क्विंटल अंको एवं शब्दों में
1	कार्यालय के पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ०एम०आर० उत्तर शीट, आवेदन पत्र, मुद्रित प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि विभिन्न प्रकार की रद्दी सामग्री।	

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

निविदा की शर्तें

अनिवार्य शर्तें

1. निविदाकर्त्ता का पैन नम्बर अनिवार्य है, जिसकी प्रति संलग्न की जानी है।
2. निविदाकर्त्ता का जी०एस०टी० के अन्तर्गत स्थाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसकी फोटो प्रति संलग्न की जानी है।
3. निविदा शुल्क के रूप में 1000/– (एक हजार सौ) रूपये मात्र का राष्ट्रीय बैंको के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के साथ 5000/– (पाँच हजार) रूपये मात्र बतौर अमानत राशि का राष्ट्रीयकृत बैंको के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य शर्तें

1. निविदाएँ सील बंद (एक) लिफाफा में दिनांक–11.05..2026 से 20.05..2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं दिनांक–21.05..2026 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग परिसर में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित समयावधि/तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. सफल निविदादाता को दर स्वीकृति की तिथि से 10 दिनों के भीतर 100/– (सौ) रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करने पर कार्यादेश दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं किये जाने पर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में अमानत राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

3. निविदा दाता पृथक से एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक अंकित हो, फर्म का नाम एवं पता उल्लेख करते हुए निविदा प्रस्तुत करेंगे।

4. अनुपयोगी/अप्रयुक्त (Unused) प्रश्न पत्र, ओ०एम०आर० उत्तर शीट, मुद्रित प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि सफल निविदा दाता को आयोग द्वारा कतरन के रूप में प्रदान की जायेगी। निविदा कर्त्ता द्वारा स्वयं के खर्च पर सर्व प्रथम सामग्री को कतरित (Shredding) करने का कार्य किया जायेगा एवं तदुपरांत कतरित सामग्री को तौल कर दिया जायेगा।

5. निविदा कर्त्ता को कतरित सामग्री आयोग कार्यालय से उठाना होगा। बजन कराने तथा सामग्री उठाने का कोई पारिश्रमिक भुगतान आयोग द्वारा देय नहीं होगा और यह कार्य निविदा जारी होने के एक माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

6. रद्दी भरने के लिये बोरे निविदा कर्त्ता को स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराने होंगे।

7. रद्दी को कतरित करने, बोरों में भरने तथा तोलने की व्यवस्था अपने खर्च पर सफल निविदा कर्त्ता को करनी होगी। यह सभी कार्रवाई इस हेतु गठित कमेटी की उपस्थिति में की जायेगी।

8. निविदा कर्त्ता को सामग्री का संपूर्ण विक्रय मूल्य भुगतान करने के पश्चात ही सामग्री के उठाव करने की अनुमति दी जायेगी।

9. सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

10. किसी प्रकार के उत्पन्न विवाद की स्थिति में सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. किसी भी निविदा अथवा समस्त निवदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का होगा।

<u>निविदा कर्त्ता द्वारा घोषणा</u>

मैंने झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची की समस्त शर्त्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं इनसे सहमत हूँ एवं इनका पालन करने का वचन देता हूँ।

दिनांक–.................................

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म मोहर

पूर्ण पता ....

....

....